<u>तात्काळ</u>

क्र.भाप्रसे ३०१०/प्र.क्र.३४५/२०१०/९
सामान्य प्रशासन विभाग,
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२
दिनांक :०१.११.२०१०

सोबत केंद्र शासनाच्या वित्त मंत्रालयाचे कार्यालयीन ज्ञापन आपल्या माहितीसाठी व उचित कार्यवाहीसाठी अग्रेषित :-

अ. क्र.	कार्यालयीन ज्ञापन क्रमांक	विषय
1	No.1(3) / 2008- EII B) Government of India, Ministry of Finance Department of Expenditure dated 29th September, 2010	Rates of Dearness Allowances applicable w.e.f. 1.7.2010 to the employees of Central Government and Central Autonomous Bodies continuing to draw their pay in the pre - revised scale as per 5th CPC

सदरील पृष्ठांकन हे महाराष्ट्र शासनाच्या वेबसाईटवर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०१०११०११५३८५१००१ असा आहे.

(रो.स.भालेकर)
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन.

प्रति,

१) मा.राज्यपाल यांचे सचिव
२) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव,
३) मा.उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव,
४) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) १ व २ , महाराष्ट्र , मुंबई व नागपूर,
५) महालेखापाल (लेखापरीक्षा), १ व २, महाराष्ट्र , मुंबई व नागपूर,
६) मंत्रालयीन सर्व प्रशासकीय विभाग,
७) संचालक, लेखा व कोषागारे,
८) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई
९) निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई
१०) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी
११) वित्त विभाग, सेवा ९, सेवा ५, व्यय ४, अर्थ २५ व कोषागार १, मंत्रालय, मुंबई
१२) सर्व विभागीय आयुक्त,
१३) सर्व जिल्हाधिकारी
१४) सर्व जिल्हा परिषदा (मुख्य कार्यकारी अधिकारी)
१५) गृह विभाग/पोल - १, मंत्रालय, मुंबई, (५ प्रती) |त्यांना विनंती करण्यात येते की, त्यांनी हे
१६) महसूल व वन विभाग / फ-७, मंत्रालय, मुंबई, (५ प्रती) |आदेश त्यांच्या अधिपत्याखालील सर्व
| संबंधित अधिका-यांच्या निर्देशनास आणावेत.
१७) पोलीस महासंचालक , महाराष्ट्र राज्य , पोलीस मुख्यालय, मुंबई
१८) प्रधान मुख्य वन संरक्षक, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर,
१९) महाराष्ट्र राज्य संवर्गातील भारतीय प्रशासन सेवेतील सर्व अधिकारी
२०) महाराष्ट्र शासनाच्या अधिपत्याखालील सर्व संबंधित सांविधानिक व सार्वजनिक उपक्रम
२१) सचिव, कार्मिक व प्रशिक्षण प्रशासकीय सुधार व लोकतक्रारी आणि पेन्शन मंत्रालय, नवी दिल्ली
२२) सामान्य प्रशासन विभाग, कार्यासन क्र. ९-अ, १०,२१,२१(रोख),१९, १९-अ, २४,२६
२३) निवड नस्ती

सं.1(3)/2008–संस्था–II(ख)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

व्यय विभाग

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 2010

कार्यालय ज्ञापन

विषय:– **पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार संशोधन–पूर्व वेतनमान में वेतन आहरित करने वाले केन्द्रीय सरकारी तथा केन्द्रीय स्वायत्तशासी निकायों के कर्मचारियों के लिए 01.07.2010 से लागू महंगाई भत्ते की दरें।**

अधोहस्ताक्षरी को इस विभाग के 31 मार्च, 2010 के समसंख्यक का.ज्ञा., जिसमें केन्द्रीय सरकार और स्वायत्तशासी निकायों के कर्मचारी, जिन्होंने पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार संशोधन–पूर्व वेतनमानों में अपना वेतन आहरित करना जारी रखा है, के संबंध में 01.01.2010 से महंगाई भत्ता संशोधित करने की बात की गई है, का हवाला देने का निदेश हुआ है।

2. केन्द्र सरकार और केन्द्रीय स्वायत्तशासी निकायों के कर्मचारियों की उपर्युक्त श्रेणियों के लिए स्वीकार्य महंगाई भत्ते की दरें दिनांक 01.07.2010 से मौजूदा 87 प्रतिशत से बढ़कर 103 प्रतिशत हो जाएंगी। दिनांक 03 अक्तूबर, 2008 के का.ज्ञा. में दी गई अन्य सभी शर्तें लागू रहेंगी।

3. इस कार्यालय ज्ञापन की मदों को केन्द्र सरकार के वेतनमानों को अंगीकार कर चुके मंत्रालयों/विभागों के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन आने वाले संगठनों के ध्यान में भी लाया जाए।

(वाई.पी. सहगल)

उप सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

भारत के सभी मंत्रालयों और विभागों आदि को मानक वितरण सूची के अनुसार।

प्रति, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक और संघ लोक सेवा आयोग आदि को (सामान्य संख्या में अतिरिक्त प्रतियों सहित) मानक पृष्ठांकन सूची के अनुसार।

No. 1(3)/2008-EII(B)
Government of India
Ministry of Finance
Department of Expenditure
****

New Delhi, the 29th September, 2010

OFFICE MEMORANDUM

Subject:- Rates of Dearness Allowance applicable w.e.f. 1.7.2010 to the employees of Central Government and Central Autonomous Bodies continuing to draw their pay in the pre-revised scale as per 5th CPC.

The undersigned is directed to refer to this Department's O.M. of even No. dated 31st March, 2010 revising the Dearness Allowance w.e.f. 1.1.2010 in respect of employees of Central Government and Autonomous Bodies who continue to draw their pay and allowances in the **pre-revised scales of pay** as per 5th Central Pay Commission.

2 The rates of Dearness Allowance admissible to the above categories of employees of Central Government and Central Autonomous bodies shall be enhanced from the existing rate of 87% to 103% w.e.f. 1.7.2010. All other conditions as laid down in the O.M. dated 3rd October, 2008 will continue to apply.

3 The contents of this Office Memorandum may also be brought to the notice of the organizations under the administrative control of the Ministries/Departments which have adopted the Central Government scales of pay.

(Y.P. Sehgal)
Deputy Secretary to the Government of India

To,

All Ministries and Departments of the Government of India etc. as per standard distribution list.
Copy forwarded to C&AG and UPSC etc. (with usual number of spare copies) as per standard endorsement list.